XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

28/12/11

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या– 38/2006
धारा–48/(एफ) बी0 टी0 एक्ट अन्तर्गत

1. मो0 अब्दुल हलीन, पिता– मो0 दुराय
2. मो0 हसीम, पिता– स्व0 शेख बदलूम
3. मो0 नईम, पिता– स्व0 शेख बदलूम

सभी का साकिन– डिम्हिया, थाना– जलालगढ़, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदकगण

बनाम

1. राज्स
2. मो0 गुलाम रसूल, पिता– शेख कोनाई,
   साकिन– डिम्हिया, थाना–जलालगढ़,जिला–पूर्णियाँ
3. मो0 आरिफ, पिता– स्व0 मो0 इशाक
4. मो0 हाजी अब्दुल्ला, पिता– मो0 इशाक
5. मो0 हफीज नुरूज्जमा, पिता– मो0 इशाक
6. मो0 शाहजामा, पिता– मो0 इशाक

सभी का साकिन– गरैया, थाना–अररिया, जिला– अररिया.....विपक्षीगण

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर द्वारा वाद सं0–08/02–03 धारा–48(एफ) बी0 टी0 एक्ठ अन्तर्गत में दिनांक 07.02.06 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में किया है।

प्रश्नतगत जमीन मौजा–डिम्हिया, थाना नं0–157, खाता–नं0–147, सिकमी खाता नं0–41, खेसरा नं0–2129, रकवा–0.87 डिसमिल आवेदक एवं आवेदक सं0–02 एवं 03 के पिता–स्व0 शेख बदलूम ने मिलकर दिनांक 11.09.70 को कायमी हक एवं सिकयी हक दोनों रजिस्टर्ड केवाला द्वारा खरीद किया। उसके बाद से आवेदक प्रश्नगत जमीन पर दखलकार होकर खेती करने लगे। आवेदक का कथन है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर बटाई हक के लिए वाद लाया गया जिसमें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर ने समझौता बोर्ड का गठन अंचल अधिकारी, जलालगढ़ की अध्यक्षता में किया। समझौता बोर्ड द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को नजर अंदाज कर दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा गलत आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर स्वयं सुनवाई कर उचित न्याय करने की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विपक्षी संख्या–02 का कथन है कि उनके पिता–शेख डोनाई प्रश्नगत जमीन के सिकमीदार थे जो खतियान में भी दर्ज है। विपक्षी सं0–02 के पिता प्रश्नगत जमीन पर फसल उपजाकर भू–स्वामी को नियमित रूप से दे रहे थे और वर्त्तमान में विपक्षी संख्या–02 उक्त जमीन पर खेती कर रहा है। आवेदक द्वारा जमीन छोड़ने हेतु दबाव एवं धमकी के बाद विपक्षी संख्या–02 ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में बटाईदारी हेतु वाद सं0–08/2002 दायर किया और भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा दिनांक 07.02.06 को पारित आदेश द्वारा विपक्षी सं0–02 को बटाईदार घोषित किया गया। विपक्षी सं0–02 ने खतियान के अतिरिक्त पंचायत का भी फैसला का कागजात संलग्न किया है जिसमें जमीन मालिक ने भी विपक्षी को बटाईदार स्वीकार किया है।

अतः विपक्षी संख्या 02 का कथन है कि भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है। इसलिए वर्त्तमान अपील को खारिज करने की कृपा की जाए।

विपक्षी संख्या– 03, 04, 05 एवं 06 का कथन है कि प्रश्नगत जमीन के वास्तविक सिकयीदार शेख टोनाई थे, जो अपना सिकयी हक बेच चुके हैं। विपक्षी सं0–02 के पिता शेख टोनाई वास्तविक सिकमीदार नहीं हैं। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों को 21.06.2010 एवं 29.11.2010 को सुना गया। अपीलकर्त्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा समझौता परिषद् के प्रतिवेदन को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया एवं दखल–कब्जा के आधार पर आदेश पारित नहीं किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समझौता परिषद् के प्रतिवेदन के आलोक में ही आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा अन्य साक्ष्यों का भी अवलोकन कर अवलोकरन कर न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। ग्राम पंचायत में भी अपीलकर्त्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के दखल–कब्जा को स्वीकार किया गया।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ